

सं०सं०-९/ए०-०१-०१/२०२६-

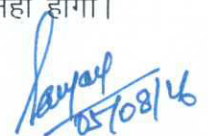
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No-54/2026 (SLP(C) No-22323/2023 से उदभूत) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं अन्य सदृश वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-७ए/सं०अभि०(असै०)-०१-११/२०१९ [१५] लो०से०आ०/गो०दिनांक-२७.०२.२०२६ के द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या-०१/२०१९ के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों का उपलब्ध कराये गये संशोधित अनुशंसा के आलोक में नवचयनित ३९ अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का जांच/मूल प्रमाण पत्रों की जांच (Certificate Verification) दिनांक-१५.०४.२०२६ को आयोजित किया गया। दिनांक-१५.०४.२०२६ को आयोजित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में १२ अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा शेष २७ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दिनांक-१५.०४.२०२६ को दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे २७ अभ्यर्थियों के लिए पुनः दिनांक-०१.०६.२०२६ को दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित की गयी, परन्तु सभी २७ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दिनांक-१५.०४.२०२६ एवं ०१.०६.२०२६ को दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे २७ अभ्यर्थियों का दस्तेवाज सत्यापन कार्यक्रम दिनांक-१८.०८.२०२६ को उप सचिव-१ (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग के कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया गया है। अनुरोध है कि जाँच पत्रक, सत्यापन प्रपत्र, शपथ पत्र तथा बायोडाटा के विहित प्रपत्र में सूचना अंकित करते हुए सभी संबंधित कागजात एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा उसकी दो-दो स्व-अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ दस्तावेज सत्यापन (Certificate Verification) हेतु निर्धारित समय, तिथि, एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Certificate Verification) में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं महत्वपूर्ण निर्देश के साथ वांछित प्रपत्र जल संसाधन विभाग के विभागीय वेबसाइट <https://wrd.fmiscwrdbihar.gov.in/> एवं <https://state.bihar.gov.in/wrd/> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दस्तावेज सत्यापन (Certificate Verification) से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत रहने हेतु उक्त विभागीय वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करेंगे।

नोट:- यदि अनुशंसित अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में विभाग एकपक्षीय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। दस्तावेज सत्यापन (Certificate Verification) कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।


(संजय कुमार)

उप सचिव-१ (प्रबंधन)

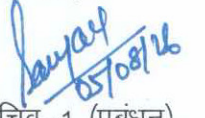
क०पू०उ०

ज्ञापांक-9/ए0-01-1001/2026-

3485

पटना/दिनांक- 05/08/2026

प्रतिलिपि-निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/ जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राज्य एवं राज्य के बाहर के हिन्दी/अंग्रेजी दैनिक महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।


उप सचिव-1 (प्रबंधन)